छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रमुख बिन्दु (निर्धारित मापदण्ड)

जनगणना 2001 में दर्ज की गई जनसंख्या बसाहट के जनसंख्या आकार को निर्धारित करने का आधार होनी चाहिए तथा इसी के आधार पर जिला ग्रामीण सड़क योजनाएं और कोरनेटवर्क बनाए/संशोधित किए जाने चाहिए ।

सड़कों से न जुड़ी बसाहट वह बसाहट है जिसमें निर्दिष्ट आकार की जनसंख्या है जो बारहमासी सड़क अथवा सड़क से जुड़ी बसाहट से कम से कम 500 मीटर या इससे अधिक (पहाड़ों के मामले में 1.5 कि.मी. पैदल दूरी) की दूरी पर स्थित है ।

सड़कों से न जुड़ी बसाहटों को बारहमासी सड़क अथवा अन्य मौजूदा बारहमासी सड़क से पहले से ही जुड़ी समीपवर्ती बसाहटों से जोड़ा जाना होता है जिससे सड़कों से न जुड़ी बसाहट में प्राप्त न होने वाली सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, विपणन सुविधाएं आदि) निवासियों को मिल सकें ।

कोर नेटवर्क सड़कों (रूट्स) का ऐसा अल्प नेटवर्क है जो कम से कम एक बारहमासी सड़क संपर्कता के जरिए चुनिंदा क्षेत्रों में सभी पात्र बसाहटों को अनिवार्य सामाजिक आर्थिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जरूरी है ।

कोर नेटवर्क में थ्रू रूटस और लिंक रूट्स शामिल है । थ्रू रूट वे हैं जिनसे कई संपर्क सड़कों या कई गांवों से ट्रेफिक आकर चलता है और यह उच्च श्रेणी की सड़कों अर्थात जिला सड़कों या राज्य अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिए सीधे विपणन केंद्रों से जुड़े होते हैं । लिंक रूट वे सड़कें हैं जो किसी एक बसाहट या बसाहटों के एक समूह को थ्रू रूटों या जिला सड़कों से जोड़ती हैं और ये विपणन केन्द्रों तक जाती है । लिंक रूट सामान्यतः किसी बसाहट की सीमा खत्म होने पर समाप्त हो जाते हैं हालांकि थ्रू रूट दो या अधिक लिंक रूटों को मिलाकर तथा मुख्य सड़क या विपणन केन्द्र से उत्पन्न होते हैं ।

यह सुनिश्चित किया जाए कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत शुरू किया गया प्रत्येक सड़क कार्य कोर नेटवर्क का भाग है । सड़क संपर्क के उद्देशय को ध्यान में रखते हुए उन सड़कों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो संयोगवश अन्य बसाहटों के काम आती हैं । दूसरे शब्दों में मूल उद्देशय (2003 तक 1000+ /500 + बसाहटों तथा 2007 तक 500/250 बसाहटों को शामिल करना) से समझौता किए बिना उन सड़कों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अधिक आबादी के काम आती हैं । इन प्रयोजनार्थ, हालांकि मैदानी क्षेत्रों में सड़क से 500 मीटर की दूरी वाली बसाहटों को सड़क से जुड़ा हुआ माना गया है, पर्वतीय क्षेत्रों यह दूरी 1.5 कि.मी. (पथ की लंबाई) होनी चाहिए ।

पीएमजीएसवाई में केवल एकल सड़क संपर्क की ही व्यवस्था है । यदि कोई बसाहट पहले ही बारहमासी सड़कों के जरिए किसी अन्य सड़क से जुड़ी बसाहट से जुड़ी हुई है तो उस बसाहट में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कोई अन्य कार्य शुरू नही किया जा सकता है ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनायी गयी ग्रामीण सड़कें तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप हों । इसमें ग्रामीण सड़क नियमावली पुस्तिका (आई आर.सीः एस पी 20:2002) में बताए अनुसार इण्डियन रोड्स कांग्रेस द्वारा निर्धारित विशिष्टताओं को अपनाया जाएगा ।